

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 23.05.18

फैसल दि0 23.05.18

श्री गोतमलाल पि. नाथु
(वादी)

अनवान

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री गोतमलाल पि. नाथु ने वाद प्रस्तुत कर मोजा झोड के खाता नम्बर 199 जमाबन्दी सं0 2013-16 में अंकित स्वयं/पिता का नाम गोतमलाल पि. नाथु गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम गोतमलाल है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम गोतमलाल दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है । प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम गोतमलाल पि. नाथु होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा झोड की जमाबन्दी संवत 2013-16 के खाता संख्या 199 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम गोतमलाल में संशोधन कर सही नाम गोतमलाल दर्ज रेकार्ड किया जावे । निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा